राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 162/2023
(अपील संख्या – 5871/2021)

चन्द्र प्रकाश

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री उमेश मिश्रा, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	20.10.2023
आदेश की दिनांक	:	06.12.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 5871/2021 में दिनांक 21.07.2023 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 21.07.2023 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

''प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1999 को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर हुई थी और वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। आईआईएफएल गोल्ड फाईनेंस कम्पनी एवं मन्नापुरम गोल्ड फाईनेंस कम्पनी में गोल्ड डकैती की वारदातों को ट्रेस आउट कर हार्डकौर अपराधियों की धडपकड आदि का कार्य करने पर एवं शौर्यपूर्ण कार्य करने पर अपीलार्थी का नाम आरपीएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। दिनांक 01.09.2016 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु पत्र लिखा गया। राजस्थान सेवा नियम 1954 में वर्ष 1998 में नियम 28एएए विशेष पदोन्नति के लिए उक्त नियम के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान किए गए। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष में आउट ऑफ टर्न

पदोन्नति के लिए जो अपीलार्थी द्वारा विशेष कार्य किया गया, के तहत पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई, परन्तु उक्त अभिशंषा के संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया। श्री नंदलाल जो उप निरीक्षक के पद पर एवं 4 अन्य कांन्स्टेबल को हैड कांन्स्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, जिनका पूर्ण रूप से नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया था, परन्तु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा वीरता, शौर्य एवं सराहनीय कार्य करने के उपरांत नियम 28एएए के तहत आरपीएस (जूनियर स्केल) के पद पर पदोन्नति नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 02.02.2016 (अनुलग्नक–5) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की टीम में कार्य करने वाले कार्मिकों को विशेष पदोन्नति प्रदान की गई है। परंतु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि टीम का पूर्ण नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया। राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में वर्ष 1997 तक पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को उप अधीक्षक पुलिस के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति नहीं दिए जाने का प्रावधान था। परंतु उक्त नियम में संशोधन उपरांत नियम 28एएए के तहत पुलिस उप निरीक्षक से अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2005 को विशेष पदोन्नति हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और उक्त नियम के तहत अनुलग्नक–13 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 1997–98 के बाद कई कार्मिकों को कार्य वर्ष में ही विशेष पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को उक्त नियम के तहत विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। उक्त नियम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2011/2005 जसवंत सिंह बालोत व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय में भी उचित माना गया है। प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय पुलिस उपायुक्त (उत्तर), जयपुर द्वारा दिनांक 02.07.2014 एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 25.05.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की कार्य उपलब्धि वर्ष व रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति प्रदान करने हेतु कार्यालय पुलिस महानिदेशक को अभिशंषा की गई। तदुपरान्त कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 23.06.2016 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। परंतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उक्त मामले का निराकरण लम्बित होने के कारण वर्ष 2016 के बाद से पिछले 7 वर्ष से अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सेवा लाभ आदि का भी भुगतान नहीं किया गया है। हमारे मत में उक्त गोल्ड डकैतियों में डकैतों का पता लगाने में अपीलार्थी की टीम में कार्य करने वाले अन्य सदस्यों को लगभग 9 वर्ष पूर्व ही विशेष पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है और अपीलार्थी का प्रकरण विभाग में लम्बे समय अंतराल तक लम्बित रखा जाना एवं प्रकरण लम्बित रखने के कारण वेतन वृद्धियां व वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जाना न्यायसंगत प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु नियमानुसार नियम 28एएए के तहत उचित प्रोफार्मा में अभिशंषा की गई है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त अभिशंषा के आधार पर कार्य वर्ष व रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न) राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान राज्य बनाम उम्मेद सिंह डी.बी.सी.एस.ए. संख्या 654/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 जिसमें सरकार की अपील को खारिज किया और प्रार्थी को रूपये 20,000/– ईनाम राशि दी गई, को माननीय उच्च न्यायालय ने उसके कार्यों के आधार पर नियम 28ए के तहत विशेष पदोन्नति देने का निर्देश दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जोधपुर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं पुलिस महानिदेशक राजस्थान, जयपुर की अभिशंषा दिनांक 23.06.2016, पुलिस उपायुक्त (उत्तर), जयपुर दिनांक 02.07.2014 तथा पुलिस आयुक्त, जयपुर दिनांक 25.05.2016 द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर कार्य वर्ष 2013–14 के विरूद्ध नियम 28एएए के तहत अग्रिम पदोन्नति पुलिस निरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे एवं पदोन्नति उपरांत वरिष्ठता एवं सेवा लाभ सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 21.07.2023 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। जबकि अधिकरण द्वारा जारी आदेश में प्रत्यर्थी विभाग को उक्त आदेश की पालना के लिए तीन माह का समय सुनिश्चित किया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 21.07.2023 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए बहस की है कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अवमानना कारित नहीं की गयी है। माननीय अधिकरण के आदेशों की पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी–अपीलार्थी की अवमानना याचिका को निरस्त फरमावे।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

''प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1999 को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर हुई थी और वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। आईआईएफएल गोल्ड फाईनेंस कम्पनी एवं मन्नापुरम गोल्ड फाईनेंस कम्पनी में गोल्ड डकैती की वारदातों को ट्रेस आउट कर हार्डकौर अपराधियों की धडपकड आदि का कार्य करने पर एवं शौर्यपूर्ण कार्य करने पर अपीलार्थी का नाम आरपीएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। दिनांक 01.09.2016 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु पत्र लिखा गया। राजस्थान सेवा नियम 1954 में वर्ष 1998 में नियम 28एएए विशेष पदोन्नति के लिए उक्त नियम के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान किए गए। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष में आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए जो अपीलार्थी द्वारा विशेष कार्य किया गया, के तहत पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई, परन्तु उक्त अभिशंषा के संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया। श्री नंदलाल जो उप निरीक्षक के पद पर एवं 4 अन्य कांन्स्टेबल को हैड कांन्स्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, जिनका पूर्ण रूप से नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया था, परन्तु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा वीरता, शौर्य एवं सराहनीय कार्य करने के उपरांत नियम 28एएए के तहत आरपीएस (जूनियर स्केल) के पद पर पदोन्नति नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 02.02.2016 (अनुलग्नक–5) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की टीम में कार्य करने वाले कार्मिकों को विशेष पदोन्नति प्रदान की गई है। परंतु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि टीम का पूर्ण नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया। राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में वर्ष 1997 तक पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को उप अधीक्षक पुलिस के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति नहीं दिए जाने का प्रावधान था। परंतु उक्त नियम में संशोधन उपरांत नियम 28एएए के तहत पुलिस उप निरीक्षक से अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2005 को विशेष पदोन्नति हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और उक्त नियम के तहत अनुलग्नक–13 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 1997–98 के बाद कई कार्मिकों को कार्य वर्ष में ही विशेष पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को उक्त नियम के तहत विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। उक्त नियम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2011/2005 जसवंत सिंह बालोत व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय में भी उचित माना गया है। प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय पुलिस उपायुक्त (उत्तर), जयपुर द्वारा दिनांक 02.07.2014 एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 25.05.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की कार्य उपलब्धि वर्ष व रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति प्रदान करने हेतु कार्यालय पुलिस महानिदेशक को अभिशंषा की गई। तदुपरान्त कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 23.06.2016 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। परंतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उक्त मामले का निराकरण लम्बित होने के कारण वर्ष 2016 के बाद से पिछले 7 वर्ष से अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सेवा लाभ आदि का भी भुगतान नहीं किया गया है। हमारे मत में उक्त गोल्ड डकैतियों में डकैतों का पता लगाने में अपीलार्थी की टीम में कार्य करने वाले अन्य सदस्यों को लगभग 9 वर्ष पूर्व ही विशेष पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है और अपीलार्थी का प्रकरण विभाग में लम्बे समय अंतराल तक लम्बित रखा जाना एवं

प्रकरण लम्बित रखने के कारण वेतन वृद्धियां व वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जाना न्यायसंगत प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु नियमानुसार नियम 28एएए के तहत उचित प्रोफार्मा में अभिशंषा की गई है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त अभिशंषा के आधार पर कार्य वर्ष व रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न) राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान राज्य बनाम उम्मेद सिंह डी.बी.सी.एस.ए. संख्या 654/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 जिसमें सरकार की अपील को खारिज किया और प्रार्थी को रूपये 20,000/– ईनाम राशि दी गई, को माननीय उच्च न्यायालय ने उसके कार्यों के आधार पर नियम 28ए के तहत विशेष पदोन्नति देने का निर्देश दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जोधपुर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं पुलिस महानिदेशक राजस्थान, जयपुर की अभिशंषा दिनांक 23.06.2016, पुलिस उपायुक्त (उत्तर), जयपुर दिनांक 02.07.2014 तथा पुलिस आयुक्त, जयपुर दिनांक 25.05.2016 द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर कार्य वर्ष 2013–14 के विरूद्ध नियम 28एएए के तहत अग्रिम पदोन्नति पुलिस निरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे एवं पदोन्नति उपरांत वरिष्ठता एवं सेवा लाभ सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को आदेश जारी होने के तीन माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। जबकि तीन माह से भी अधिक समय व्यतीत होने पर भी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं की गई। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के आदेश के विरूद्ध कोई याचिका दायर नहीं की है, परंतु अभी तक अधिकरण के आदेश दिनांक 21.07.2023 की क्रियान्विति को स्थगित नहीं करवाया है। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There*

is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 21.07.2023 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य